प्रेषक,

आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में.

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र—2 समुदाय केन्द्र प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांकःसी० /

/ एन0ओ0सी0 / 2013-14

दिनॉक 23/05/20/3

विषयः—सुदिति ग्लोबल एकेडमी, नगला लल्लू (फुलरई) जसवन्त नगर, इटावा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय, उपर्युक्त विषय की ओर आपका शासनादेश संख्याः 1916/15—7—09—01 (299)/2007 दिनॉक 14—07—2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनॉक 18—05—2013 में लिए गये निर्णयानुसार सुदिति ग्लोबल एकेडमी, नगला लल्लू (फुलरई) जसवन्त नगर, इटावा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन

आपितत नहीं है:— 1— विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

- 2— विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ०प्र० द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3— विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है। तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- 5— संस्थान के शैक्षिक एवं शिक्षणोंत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

- 6— कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाम उपलब्ध कराये जायेगे।
- 7— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपन्न पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9— उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना कोई परिवर्तन/ संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन कराना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

> भवदीय (शालिनी प्रसाद) आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर

पृ०सं०:सी० / 15-90-9) /2013-14

दिनॉक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित-

- 1— सिवव (माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन् शिक्षा अनुभाग-७ लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, इटावा।
- 3- शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र० शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।
- 4— जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा।
- 5— निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6— प्रबन्धक / सचिव, सुदिति ग्लोबल एकेडमी, नगला जल्लू (फुलरई) जसवन्त नगर, इटावा।
- 7- गार्ड फाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर